तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/7785/2006/दौसा छोटी बाई बनाम रघुवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.8.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री समीर अहमद, अधिवक्ता अपीलांट श्री पवन सिंह चौहान, अधिवक्ता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** अपीलांट ने यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयुपर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-08-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा दिनांक 13.12.2004 को आराजी खसरा नं02209 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम हींगोटा तहसील बसवा का आवंटन अपीलांट/अप्रार्थीया छोटी बाई पुत्री नारायण के पक्ष में किया गया था। उक्त आवंटन को खारिज करवाने के लिए रेस्पो0/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम, 1970 के अंतर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा ने उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 28.10.2005 से खारिज करते हुये अपीलांट का आवंटन दिनांक 13.12.2004 को यथावत रखा गया। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयुपर कैम्प दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 25.8.2006 रेस्पो0/अपीलांट की प्रथम अपील स्वीकार कर ली।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/7785/2006/दौसा छोटी बाई बनाम रघुवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट भूमिहीन परित्यकता गरीब कृषक महिला है जिसका प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध था। अपीलांट को आवंटितशुदा भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा चला आ रहा है और आज भी मौके पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट को भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सभी तथ्यों की जांच, यथा पटवारी हल्का द्वारा भूमिहीन कृषक बाबत की गयी रिपोर्ट इत्यादि, कर विधिवत आवंटन योग्य भूमि होने पर ही आवंटन किया है। आवंटित भूमि किसी प्रकार से भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं आ रही है। अपील अधिकारी ने विधि विरूद्व अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी आवंटित भूमि पर सडक व रास्ता नहीं बताया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2011 आर0बी0जे0 पेज 418, 1995 आर0बी0जे0 पेज 733 व 780, 2018 आर0आर0टी0(2) पेज 1007, 1998 आर0आर0डी0 पेज 445, 1994 ए0आई0आर0 एस.सी पेज 1128 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि स्कूल व आबादी के पास की भूमि है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से भी साबित होता है। आवंटित भूमि में से गांव का निकास है एवं मवेसियों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/7785/2006/दौसा छोटी बाई बनाम रघुवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकत्रित होने व खलिहान आदि के काम आती है। आवंटी ने आवंटन फार्म में उसके पिता तथा पति की भूमि का अंकन नहीं किया गया है इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि आवंटी भूमिहीन कृषक है। आवंटी के परित्यागता होने का सबूत भी पत्रावली में नहीं है तथा आवंटी का बी0पी0एल0 में नाम होने का सबूत भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खसरा नं0 2209/2 में भूमि स्कूल को खेल मैदान के लिए आवंटित की गयी है। विवादित भूमि स्कूल व आबादी से लगती हुई है इसलिए सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त मानी जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1997 आर0बी0जे0 पेज 224, 2007 आर0बी0जे0 पेज 492, 2009 आर0बी0जे0 पेज 765, के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया । पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड व न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अति जिला कलेक्टर, दौसा ने रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम, 1970 की कार्यवाही बाबत प्रस्तुत आपत्ति को अपने निर्णय दिनांक 28.10.05 से खारिज कर दिया परन्तु न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयुपर कैम्प दौसा ने प्रकरण में प्रस्तुत समस्त तथ्यों व रिकार्ड का पूर्ण विवेचन और परीक्षण कर समुचित निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमियां आबादी के मध्य व स्कूल से लगती हई होने के कारण सार्वजनिक दृष्टि से महत्पूर्ण भूमि है एवं जो भूमि सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है उसका आवंटन किया जाना अयुक्तियुक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/7785/2006/दौसा छोटी बाई बनाम रघुवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा त्रुटिपूर्ण माना जाता है। अतः उक्तानुसार आवंटन की जो अयुक्तियुक्त प्रक्रिया अपनायी गयी है वह त्रुटिपूर्ण है इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 28.10.2005 निरस्त करते हुये न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयुपर कैम्प दौसा का निर्णय दिनांक 25.8.2006 बहाल रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	